छत्तीसगढ़ विधान सभा

जनवरी, 2014 सत्र

दैनिक कार्य सूची

शुक्रवार, दिनांक 10 जनवरी, 2014 (पौष 20, 1935)

समय 11:00 बजे पूर्वाह्न

1. पत्रों का पटल पर रखा जाना

(1) डॉ. रमन सिंह, मुख्यमंत्री, भारत के संविधान के अनुच्छेद 151 के खण्ड (2) की अपेक्षानुसार भारत के नियंत्रक- महालेखापरीक्षक से प्राप्त -

(i) वित्त लेखे खण्ड 1 एवं खण्ड 2 वर्ष 2012-2013 (छत्तीसगढ़ शासन) तथा

(ii) विनियोग लेखे वर्ष 2012-2013 (छत्तीसगढ़ शासन) **पटल पर रखेंगे.**

(2) डॉ. रमन सिंह, मुख्यमंत्री, सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 (क्रमांक 22 सन् 2005) की धारा 25 की उपधारा (4) की अपेक्षानुसार छत्तीसगढ़ सूचना आयोग का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2012 पटल रखेंगे.

(3) श्री अमर अग्रवाल, श्रम मंत्री, भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा-शर्तों का विनियमन) अधिनियम, 1996 (क्रमांक 27 सन् 1996) की धारा 27 की उपधारा (5) की अपेक्षानुसार छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2012-2013 तथा निरीक्षण प्रतिवेदन एवं मंडल की कार्यवाही पटल रखेंगे.

(4) श्री प्रेम प्रकाश पाण्डेय, जनशक्ति नियोजन मंत्री, छत्तीसगढ़ युवाओं के कौशल विकास का अधिकार अधिनियम, 2013 (क्रमांक 17 सन् 2013) की धारा 27 की उपधारा (3) की अपेक्षानुसार अधिसूचना क्रमांक एफ 9-41/2013/जन.नि./42, दिनांक 3 अक्टूबर, 2013 द्वारा अधिसूचित छत्तीसगढ़ राज्य कौशल विकास प्राधिकरण (व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदाता) विनियम, 2013 पटल रखेंगे.

2. वर्ष 2013-2014 के द्वितीय अनुपूरक अनुमान की अनुदान मांगों पर मतदान

निर्धारित समय 3 घंटे

डॉ. रमन सिंह, मुख्यमंत्री, निम्नलिखित प्रस्ताव करेंगे:-

दिनांक 31 मार्च, 2014 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष में अनुदान संख्या - 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 36, 39, 41, 45, 47, 48, 53, 54, 55, 56, 58, 64, 66, 67, 68, 69, 71, 79, 80, 81, 82 एवं 83 के लिए राज्य की संचित निधि में से प्रस्तावित व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को कुल मिलाकर **एक हजार आठ सौ छिहत्तर करोड़, सड़सठ लाख, चालीस हजार, छः सौ तिरसठ रुपये** की अनुपूरक राशि दी जाये.

3. शासकीय विधि विषयक कार्य

डॉ. रमन सिंह, मुख्यमंत्री, छत्तीसगढ़ विनियोग (क्रमांक-1) विधेयक, 2014 (क्रमांक-1 सन् 2014) का पुर:स्थापन करेंगे तथा प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पर विचार किया जाये.

उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खंडश: विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाये.

क्रमश: 2

4. संकल्प

डॉ. रमन सिंह, मुख्यमंत्री, निम्नलिखित संकल्प प्रस्तुत करेंगे :-

"यह सदन भारत के प्रज्ञा पुरूष स्वामी विवेकानंद की सार्धशती के अवसर पर मानवता के प्रति उनके योगदान को श्रद्धापूर्वक स्मरण करते हुए यह संकल्प करता है कि समस्त छत्तीसगढ़वासी उनके जीवन और आदर्शों के प्रति अगाध श्रद्धा बनाए रखेंगे."

देवेन्द्र वर्मा
प्रमुख सचिव.

रायपुर
दिनांक 09 जनवरी, 2014